अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय – जी–3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9–10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर
website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

पाराशर नारायण शर्मा
प्रदेश अध्यक्ष (पदेन संरक्षक)

रामनिरंजन गौड
प्रदेश महासचिव (पदेन संरक्षक)

ललित चाचान
प्रदेश कोषाध्यक्ष (पदेन संरक्षक)

श्री थावर चन्द डोडा
संरक्षक,
मो. 9929160579

विक्रम कटारा
प्रदेशाध्यक्ष
मो. 9929652290

डा0 नारायण लाल निनामा
महासचिव
मो. 9982556464

लक्ष्मीनारायण धानका
महासचिव
मो. 9950750063

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष

अजमेर :
आनन्दी लाल डाढी
मो. 9414212600

बीकानेर :
मदन लाल भील
मो. 9829020737

भरतपुर :
रामजीलाल कोली
मो. 9414689980

जयपुर :
भोरीलाल देराण
मो. 9928956866

जोधपुर :
सुखदेव भील
मो. 9928341925

कोटा :
कालू लाल भील
मो. 7726914880

उदयपुर :
सुरेश लक्खा
मो. 9602319177

क्रमांक 11722 दिनांक : 01.01.2016

श्रीमान प्रणव मुखर्जी साहेब
महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।

विषयः–राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष डा. रामेश्वर उरांव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति बाबत।

संदर्भः–सामान्य वर्ग के मीणा **(Meena)** समुदाय को अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण हड़पने में अविधिक मदद करने का अपराध।

महोदय,

हम आपकी जानकारी में लाना चाहते है कि :–

1. केन्द्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने राजस्थान हाईकोर्ट में लम्बित याचिका संख्या 1862 /2013 में शपथ पत्र प्रस्तुत करके घोषणा की है कि राजस्थान में मीणा **(Meena)** समुदाय अनुसूचित जनजाति नहीं है, मीना **(Mina)** समुदाय है।

2. केन्द्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने आरटीआई के अधीन दी गयी जानकारी में पत्र कमांक 11030/01/2013 **C.& L.M.-1** दिनांक 26.08.2013 में स्पष्ट घोषित किया है कि राजस्थान राज्य में मीणा **(Meena)** समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में कभी भी शामिल नहीं किया गया।

3. यह सर्वविदित तथ्य है कि राजस्थान के जयपुर, भरतपुर व कोटा सम्भाग में लगभग 25 लाख की आबादी सामान्य वर्ग के सशक्त "मीणा" **(Meena)** समुदाय की है जिनके अनेक राजवंश हुए है तथा इनको जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा, उजले मीणा, मैले मीणा, पडिहार मीणा, रावत मीणा, मेव मीणा, मेर मीणा, असली या आदू मीणा, सूरतवाल मीणा, चौथिया मीणा, दस्सा मीणा, बिस्सा मीणा आदि जातियाँ शामिल है। ये जातियाँ मीणा समुदाय की लगभग सभी पुस्तकों में दर्शायी गई है।

4. राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुगनलाल भील की याचिका संख्या 13978/2013 में मीणा **(Meena)** समुदाय को सामान्य वर्ग मानते हुए दिनांक 18.02.2014 को आदेश दिया है कि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करे कि जनजाति का लाभ "मीणा" **(Meena)** समुदाय को नहीं वरन् मीना **(Mina)** समुदाय को मिले।

5. राजस्थान सरकार ने भी 30.09.14 को पत्र जारी करके ये निर्देश जारी किये है कि किसी मीणा**(Meena)** को मीना**(Mina)** के नाम से जाति प्रमाणपत्र जारी नहीं किये जावें।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा मिलिंद कुमार के प्रकरण में दिये गये निर्णय के अनुसार तथा केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार केवल भारतीय संसद ही तय प्रक्रिया के अधिन पूरी जॉच करवाकर मीणा **(Meena)** समुदाय को संशोधन अधिनियम के जरिये जनजाति की सूची में शामिल कर सकती है।

(लगातार— 2)

अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय – जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर
website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

पाराशर नारायण शर्मा
प्रदेश अध्यक्ष (पदेन संरक्षक)

रामनिरंजन गौड़
प्रदेश महासचिव (पदेन संरक्षक)

ललित चाचान
प्रदेश कोषाध्यक्ष (पदेन संरक्षक)

श्री थावर चन्द डोडा
संरक्षक,
मो. 9929160579

विक्रम कटारा
प्रदेशाध्यक्ष
मो. 9929652290

डा० नारायण लाल निनामा
महासचिव
मो. 9982556464

लक्ष्मीनारायण धानका
महासचिव
मो. 9950750063

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष

अजमेर :
आनन्दी लाल डाबी
मो. 9414212600

बीकानेर :
मदन लाल भील
मो. 9829020737

भरतपुर :
रामजीलाल कोली
मो. 9414689980

जयपुर :
भोरीलाल देराण
मो. 9928956866

जोधपुर :
सुखदेव भील
मो. 9928341925

कोटा :
कालू लाल भील
मो. 7726914880

उदयपुर :
सुरेश लखवा
मो. 9602319177

क्रमांक (2) दिनांक :

7. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका संख्या 1862/2013 में शपथपत्र प्रस्तुत कर बताया है कि इस प्रकरण में उसे कोई अधिकार नहीं है, अतः उसे इस याचिका में पार्टी नहीं बनाया जावे।

8. एनसीएसटी की हैण्डबुक का नियम संख्या 8(2)(d) भी स्पष्ट करता है कि **"No action will be taken in cases which are sub judice or in which a court has already given its final verdict, and therefore such cases need not be refered to the Commission."**

9. एनसीएसटी के हैण्डबुक का नियम संख्या 8(2)(h) भी बिल्कुल स्पष्ट है– **"NCST has no direct role in the case of inclusion or exclusion of a community as a Scheduled Tribe under article 342 Constitution of India. Proposals received in the Ministry of Tribal affairs and concurred by the Registrar General of India, only are received in the Commission for comments. Hence, there is no need for submitting proposal/representation in this regard to the Commission.**

10. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के अनेक बाध्यकारी आदेशों में स्पष्ट निर्देश है कि एनसीएसटी का उपरोक्त प्रकार के प्रकरण में कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

11. उपरोक्तानुसार बिल्कुल स्पष्ट नियम, प्रावधान एवं निर्णय होने के बावजूद भी श्री रामेश्वर उराँव ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए सामान्य वर्ग के मीणा (**Meena**) समुदाय को अविधिक रूप से जनजातियों/आदिवासियों का लाभ हड़पने में मदद करने के दुराशय से श्री नमोनारायण मीणा (पूर्व केन्द्रीय मंत्री) के साथ मिलिभगत करके "मीणा" (**Meena**) समुदाय को 'उपनाम' बताकर "मीना" (**Mina**) जाति के नाम से जनजाति प्रमाणपत्र जारी करवाने के निर्देश राजस्थान के मुख्य सचिव को दिये है जो भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन अपराध है। आदिवासियों से विश्वासघात है।

अतः राजस्थान एवंदेश के लाखों आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए कृपया श्री रामेश्वर उराँव को पद से बर्खास्त करें तथा उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति प्रदान कर अनुग्रहित करें।

सादर,

भवदीय,
कालूलाल
(कालूलाल भील)
महासचिव